

A vibrant illustration of Goddess Katyayani seated on a lion. She is depicted with four arms, wearing a pink and white sari, and holding various symbolic objects. The background is a golden-yellow pattern with Swastika symbols. Below the illustration, the text 'जय माता की' is written in Devanagari script, followed by 'कात्यायनी' in a stylized font.

मां कात्यायनी मां दुर्गा की
छठी विभूति हैं। शास्त्रों के
मुताबिक जो भक्त दुर्गा मां
की कात्यायनी की आराधना
करते हैं मां की कृपा उन पर
सदैव बनी रहती है।

शक्ति नहर में गिरी कार, महिला की मौत

नई दिल्ली (उद संवाददाता)। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि शीर्ष न्यायालय के सभी 33 जज अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करेंगे। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ी चर्चाओं के बीच लोगों के विश्वास को बरकरार रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपनी संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक करने पर सहमति जताई है। पूर्ण न्यायालय की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश अपनी संपत्ति का डेटा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की



वेबसाइट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा स्वैच्छिक आधार पर होगी। बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना सहित तीस न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति

देहरादून (उद संवाददाता) में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, विकासनगर से पांच लोग एक कार में सवार होकर ढकरानी की ओर जा रहे थे। इस दौरान वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार भीमावाला पुल के पास अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने एसडीआरएफ को सूचित किया, और टीम घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन में कड़ी मेहनत के बाद, एसडीआरएफ की टीम ने कार में फंसी एक महिला का शव बाहर निकाला। महिला की पहचान 30 वर्षीय इशरत , पत्नी जीशान, निवासी ढकरानी के रूप में हुई। जबकि कार में सवार चार लोग किसी तरह सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। एसडीआरएफ टीम के अपर उप निरीक्षक (शेष पृष्ठ सात पर)

चोरों ने घर से लाखों के जेवर उड़ाये

हलद्वानी (उद संवाददाता)। घर में घुसकर मोबाइल चुराने वाले दो चोरों को गृह स्वामी ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को न्यायालय में पेश किया। जानकारी के अनुसार बड़ी मस्जिद इंदिरा नगर निवासी मोहम्मद कामिल पुत्र रशीद अपने परिवार के साथ दो अप्रैल की रात्रि में सो रहा था। तभी दो युवक उसके घर में घुस गए और उसका मोबाइल चुराने लगे। इतने में ही कामिल की आंख खुल गई और उसने शोर मचा दिया। जिससे आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। लोगों की मदद से कामिल ने दोनों चोरों को पकड़ लिया और उन्हें बनभूलपुरा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों चोरों आवश्यक से पूछताछ की। उन्होंने अपना नाम पता अरमान पुत्र दानिश निवासी उजाला नगर व फुरकान पुत्र इकराम बड़ी मस्जिद इंदिरा नगर बताया। पकड़े गए चोरों ने पुलिस को बताया कि वह नशे के आदी है। इसी के चलते वह चोरी कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

चोरों ने दिनदहाड़े फोटो शॉप खंगाली

हलद्वानी (उद संवाददाता)। अज्ञात चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दिनदहाड़े फोटो शॉप की दुकान में धावा बोलकर वहां से हजारों रुपए की नगदी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। दुकान स्वामी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुखानी थाना पुलिस को तहरीर सौंप कर चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। सरदार की कोठी निवासी चंदन गिरी गोस्वामी पुत्र हरीश गिरी गोस्वामी की लालडॉट रोड सावित्री स्कूल के समीप चंदू फोटो स्टूडियो के नाम से दुकान है। चंदन 2 अप्रैल को दोपहर 11 बजे दुकान का शटर बन्द कर किसी कार्य से कहीं गया था। जब वह आधे घंटे के भीतर दुकान पर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान का शटर खुला हुआ है और दुकान से (शेष पृष्ठ सात पर)

देवी 1 अप्रैल की दोपहर हॉस्पिटल गयी थी। जब घर वापिस लौटे तो देखा कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके कमरे का ताला तोड़कर कमरे में रखे बक्से से

नियमों के विरुद्ध चल रहे ई रिक्शा के खिलाफ चला अभियान

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। यातायात पुलिस द्वारा गत दिवस नगर में नियमों के विरुद्ध संचालित किया जा रहे कई टुकटुक चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर अनेक टुकटुकों को सीज कर दिया गया। जिससे टुकटुक चालकों में हड़कम्प मचा रहा। अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने बिना इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे टुकटुक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान में एक दर्जन से अधिक टुकटुक सीज किए गए। अभियान के चलते



पुलिस टीम को देख अधिकांश टुकटुक
चालक अपना टुकटुक लेकर इधर उध
र भागते नजर आए। यातायात उप

निरिक्षक धनपाल
तनवार ने बताया कि
जिन टुकटुक वाहन
का इंश्योरेंस समाप्त
हो गया और बिना
फिटनेस के दौड़ रहे
ऐसे टुकटुक सीज
किए जा रहे हैं। साथ
ही बिना डाइविंग
चलाने वाले चालकों
रही है। उन्होंने बताया
नगतातर जारी रहेगा।

शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। ग्राम भूगरानी की डिवाइन पार्क कालोनी में शराब की दुकान खोलने की तैयारी के खिलाफ महिलाओं ने कलैक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने कहा है कि यहां पिछले छह माह से शराब की दुकान बंद है। उन्हें सन्देश है कि इस वर्षा ऋतु में शराब की दुकान खोली जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में पूर्व में भी ज्ञापन दिया जा चुका है। शराब की दुकान का पूर्व में विरोध करने पर उन्हें अभी भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि उक्त शराब की दुकान का सही स्थान बंगाली कालोनी है। उन्होंने ज्ञापन में जिलाधिकारी से कालोनीवासियों के हित में इस सन्दर्भ में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।



उत्तराखण्ड की जेलों में क्षमता से डेढ़ गुने कैदी बंद

काशीपुर। उत्तराखंड जैसे शान्त माने जाने वाले राज्य में भी उत्तराखंड की 10 सामान्य जेलों में उसकी क्षमता 3541 से डेढ़ गुने से अधिक 5521 कैदी बंद है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज (खुली जेल) में 45 सजायाफ्ता कैदी बंद हैं। यह खुलासा सूचना अधिकार के अन्तर्गत कारागार मुख्यालय द्वारा नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने महानिरीक्षक कारागार (कारागार मुख्यालय) उत्तराखंड से उत्तराखंड राज्य की जेलों में बंदियों की क्षमता तथा वर्तमान में बंद कैदियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग

उत्तराखण्ड की सामान्य जेलों में 3541 के स्थान पर 5521 कैदी

उत्तराखंड के लोक सूचना अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी मनोज खोलिया ने अपने पत्रांक 397 दिनांक 07 फरवरी 2025 से जेलों की क्षमता तथा बंदियों का विवरण उपलब्ध कराया है। श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार सम्पूर्णानन्द शिविर जेल सितारगंज (खुली जेल) तथा जिला कारागार चमोली के अतिरिक्त सभी जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद है। श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार क्षमता से सर्वाधिक अधिक 285 प्रतिशत कैदी 102 क्षमता वाली जिला कारागार अल्मोड़ा में 291 कैदी है। दूसरे स्थान पर क्षमता के 201 प्रतिशत कैदी 71 क्षमता वाली जिला कारागार नैनीताल

में 143 कैदी बंद है। तीसरे स्थान पर क्षमता के 193 प्रतिशत कैदी 580 क्षमता वाली जिला कारागार देहरादून में 1122 कैदी बंद है। चौथे स्थान पर क्षमता के 187 प्रतिशत कैदी 635 क्षमता वाली उपकारागार हल्द्वानी में 1188 कैदी बंद है। पांचवें स्थान पर क्षमता के 156 प्रतिशत कैदी 552 क्षमता वाली केन्द्रीय कारागार सितारगंज में 860 कैदी बंद है। छठे स्थान पर क्षमता के 132 प्रतिशत कैदी 150 क्षमता वाली जिला कारागार टिहरी में 198 कैदी बंद है। सातवें स्थान पर क्षमता के 131 प्रतिशत कैदी 244 क्षमता वाली रूड़की उपकारागार में 319 कैदी बंद है। आठवें स्थान पर क्षमता के 126 प्रतिशत

कैदी 888 क्षमता वाली जिला कारागारों में हरिद्वार में 1120 कैदी बंद हैं। नवें स्थान पर क्षमता के 107 प्रतिशत कैदी 150 क्षमता वाली जिला पौड़ी में 160 कैदी बंद हैं। श्रीनदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश में केवल दो जेलें ही ऐसी हैं जिसमें निधरित स्वीकृत क्षमता से कम कैदी बंद हैं। इसमें एक विशेष जेल सम्पूर्णानन्द शिविर (खुली जेल) सितारगंज है जिसमें केवल सजयायाफ्ता कैदियों को ही रखा गया है। इसकी क्षमता 300 कैदियों की है जबकि इसकी क्षमता के मात्र 15 प्रतिशत 45 कैदी ही इसमें बंद हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य जेलों में स्वीकृत क्षमता से कम कैदियों वाली एकमात्र जेल जिला

कारागार चमोली है। इसमें उसकी क्षमता 169 की अपेक्षा 71 प्रतिशत 120 कैदी ही बंद हैं। श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तराखंड की जेलों में बंद कुल 5566 कैदियों में 59 प्रतिशत 3307 कैदी विचाराधीन कैदी हैं जबकि 41 प्रतिशत 2259 कैदी ही सजायाफ्ता (सिद्ध दोष) कैदी हैं। अल्मोड़ा जेल में बंद कुल कैदियों में 64 प्रतिशत 185, नैनीताल में 81 प्रतिशत 116, देहरादून में 68 प्रतिशत 763, हल्द्वानी में 82 प्रतिशत 971 केन्द्रीय कारागार सितारगंज में 3 प्रतिशत 28, टिहरी में 66 प्रतिशत 131, रूड़की जेल में 94 प्रतिशत 299, हरिद्वार जेल में 56 प्रतिशत 625, पौड़ी जेल में 68 प्रतिशत 109, चमोली जेल में 67 प्रतिशत 80 विचाराधीन कैदी फैसले को इंतजार में हैं।

GAGNEJA
PROPERTIES
CONTACT FOR
SALE, PURCHASE
RENT & LEASE

- ✓ Shops ✓ Houses
- ✓ Industrial Property
- ✓ Commercial Property
- ✓ Agriculture Land

REAL ESTATE
WITHOUT THE HASSLE

MO.-8630672525,8279444462

ADD- SRA F69, Shop No.4,
Adarsh Colony, Rudrapur



सूचना नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम पूजा शर्मा से बदलकर प्रीत कौर रख लिया है। भविष्य में मुझे प्रीत कौर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

प्रीत कौर पत्नी श्री लखवीर सिंह,
निवासी-वार्ड न-14, सुभाष कॉलोनी,
रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड



A large group of approximately 30 women and one man are posed for a group photograph on a stage. The women are dressed in a variety of colorful Indian saris, while the man, seated in the center of the front row, wears a blue button-down shirt and grey trousers. The stage is decorated with several banners. At the top, a white banner with black lettering reads "HAPPY GRADUATION DAY". Below it, a black banner with white text says "CONGRATULATIONS GRADUATE!". To the right, a large blue banner features the words "HAPPY GRADUATION" in pink, along with illustrations of balloons and a graduation cap. The background also includes a blue curtain with white stars and a pink banner with the text "CHILDREN ARE A SHINING STAR". The entire scene is set on a red carpeted stage.

नेपाल से सीटी सीमा पर गश्त बढ़ा दी है और इन क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, नेपाल में इन आतंकवादियों की गतिविधियों को लेकर पूरी तरह से नियंत्रण पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि नेपाल के अंदर भी कई मदरसे और धार्मिक संस्थान आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन चुके हैं। इन आतंकवादी समूहों के पास न सिर्फ भारतीय बल्कि नेपाली क्षेत्र में भी अपनी जड़ें फैलाने की क्षमता है, जो दोनों ही मुल्कों के लिये बड़े खतरे का संकेत है। समय रहते नेपाल सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाये तो दिन पर दिन हालात और भी खराब होते जायेंगे। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि नेपाल और भारत दोनों देश मिलकर सीमा पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करें और आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल सीमा पर बढ़ती आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ के प्रयासों के बीच दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच समन्वय और सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, नेपाल को अपने आंतरिक सुरक्षा उपायों को भी मजबूत करना होगा ताकि वह आतंकवादियों की गतिविधियों को अपनी सीमा से बाहर रख सके और भारतीय क्षेत्र में उनकी घुसपैठ को रोका जा सके। यह दोनों देशों की सुरक्षा और शांति के लिए आवश्यक है।

-संजय सक्सेना

विकास करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों से अपील की। कहा कि देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपनी एकता को और



मजबूत करें, समाज में समरसता और सौहार्द बनाए रखें तथा देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष कर्नल टी.पी. त्यागी (रि.) सहित संस्था के पदाधिकारी एवं अनेक गौरव सेनानी उपस्थित रहे।

2022 को मो. अहमद शुगुड्डु और जावेद ने आत्मसमर्पण किया। इन्हें उसी दिन जमानत मिल गई। मामले में उप निरीक्षक संजय बोरा के अन्वेषण के बाद मो. अहमद शुगुड्डु व जावेद के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र (चार्ज शीट) सी.जे.एम. न्यायालय में प्रस्तुत की गई। आरोप विरचित होने के बाद अभियुक्तगण ने दोषी होने का अभिवचन करने से इनकार किया और विचारण चाहा। सीजेएम न्यायालय ने दोषसिद्धगण मो. अहमद शुगुड्डु व जावेद को उनके खिलाफ लगाई गई धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोषसिद्ध किया है। इसमें दोनों को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास व पचास पचास हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में अभियोजन अधिकारी श्रद्धा रावत रही।

संस्थापक-स्व० हरनामदास सुखीजा एवं **स्व० तिलकराज सुखीजा**
 स्वामित्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक परमपाल सुखीजा द्वारा उत्तरांचल दर्पण पब्लिकेशन्स,
 श्याम टाकी रोड, रूद्रपुर, अक्षयसिंहनगर (उत्तराखण्ड) से मुद्रित एवं प्रकाशित
सम्पादक- परमपाल सुखीजा
 आरएनआई नं.: UTTIH/2002/8732 समस्त विवाद रूद्रपुर न्यायालय के अधीन होंगे।
E-mail-darpan.rdr@gmail.com, www.uttaranchaldarpan.in
 फोन-245886(0)245701(Fax), 9897427585, 9897427586(Mob.)

